फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

[illegible] बनाम प्रेमदेवी

मुकदमा संख्या /वर्ष 5/ग 76/22 : /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	20/9/22	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/10/22 को पेश हो।	
	25/10/22	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/22 को पेश हो।	
	20/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तहसीलदार सांगानेर से जवाब पेश हुआ था। कि वकील वादी की बहस सुनी गई वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दि० 22/12/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	22/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी का वाद डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस
वाद पत्र संख्या : 76/2022
निर्णय दिनांक : 22.12.2023

उनवान

1. अभिनन्दन बैरवा पुत्र स्व. श्री लालचन्द बैरवा, उम्र 24 वर्ष, निवासी बैरवों की ढाणी, कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. प्रेम देवी उर्फ विमला पत्नी स्व. श्री लालचन्द बैरवा
2. मन्नी देवी पुत्री सुवालाल बैरवा
3. मोती देवी पुत्री सुवालाल बैरवा
4. मीरा देवी पुत्री सुवालाल बैरवा
5. हीरा देवी पुत्री सुवालाल बैरवा
6. मनीषा देवी पुत्री लालचन्द बैरवा
7. मोनिका देवी पुत्री लालचन्द बैरवा
8. सोनिवाया देवी पुत्री लालचन्द बैरवा
   निवासीगण बैरवों की ढाणी, ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की पैतृक कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत्
2074–2077 के खाता संख्या 133 में खसरा नम्बर 2457 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर
2458 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 2462 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 2465 रकबा
0.20 है0, खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 2469 रकबा 0.03 है0,
खसरा नम्बर 2471 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर
2669 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 2670 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 2671 रकबा
0.20 है0, खसरा नम्बर 2693 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 2694 रकबा 0.22 है0,
खसरा नम्बर 2695 रकबा 0.58 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 3.76 हैक्टेयर वाके ग्राम
कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/18
अंकित के नाम से व 1/30 अभिनन्दन के नाम से अर्थात वादी का हिस्सा 8/90
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें
वादी के पिताजी लालचन्द बैरवा व दादाजी सुवालाल बैरवा की मृत्यु के पश्चात् उक्त
भूमि के विरासत का नामान्तरकरण खुलवाते समय वादी नाबालिग अवस्था घर पर मुंह
बोला नाम अंकित पुत्र लालचन्द दर्ज कर दिया गया तथा वादी की दादी तीजा पत्नी
सुवालाल की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण खुला तब वादी का नाम
अभिनन्दन पुत्र लालचन्द बैरवा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। अंकित बैरवा व

जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

अभिनन्दन बैरवा दोनों नाम वादी के ही है अर्थात् एक ही व्यक्ति के है। अंकित बैरवा घर पर मुंह बोला नाम है तथा शिक्षा के दस्तावेजों आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजो में वादी का नाम अभिनन्दन बैरवा दर्ज है। वादी के पास अंकित बैरवा का जमाबन्दी के अलावा अन्य कोई दस्तावेज नही है। वादी का नाम अंकित बैरवा नाबालिग अवस्था में मुंह बोला नाम जमाबन्दी में अंकित करवा दिया गया जो गलत है अर्थात विवादित है अंकित के स्थान पर अभिनन्दन करवाना चाहता है। वादी का नाम शिक्षा दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड में अभिनन्दन बैरवा है। लेकिन मुंहबोला नाम अंकित भी बोलते थे। वादी के पिता एवं दादाजी की मृत्यु के समय वादी नाबालिग था वादी की माँ ने विरासत का नामान्तरकरण खुलवाते समय अभिनन्दन बैरवा के स्थान पर अंकित बैरवा लिखवा दिया गया जो आज की वर्तमान जमाबन्दी में हिस्सा 1/18 में अंकित नाम दर्ज है तथा वादी की दादाजी तीजा की मृत्यु के पश्चात् वादी स्वयं बालिग था तो दादीजी की विरासत का नामान्तरकरण खुलवाते समय अपना रिकॉर्ड पेश कर सही नाम अभिनन्दन बैरवा हिस्सा 1/30 का नामान्तरकरण खुलवाकर जमाबन्दी में अमल करवा लिया। इस प्रकार वादी के उक्त जमाबन्दी में दो नाम अंकित हो गये है। भविष्य में वादी के नाम को लेकर किंसी प्रकार की पेचीदगीयों ना बढे इसलिए वादी वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित बैरवा के बजाय अभिनन्दन बैरवा दर्ज करवाना चाहता है। वादी के भाई अशोक पुत्र लालचन्द की अविवाहित अवस्था में दिनांक 29.10.2013 को मृत्यु हो चुकी थी और अशोक की विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु दिनांक 03.06.2022 को अपनी कृषि भूमि की हाल जमाबन्दी निकलवाई जब वादी को मालूम हुआ कि जमाबन्दी में वादी के दो नाम दर्ज कर रखे है इस बाबत वादी ने हल्का पटवारी से मिलकर कहा कि मेरा नाम अंकित गलत दर्ज कर रखा है और अंकित के स्थान पर अभिनन्दन दर्ज किया जावे। इस पर हल्का पटवारी ने वादी को कहा कि सक्षम अधिकारी ही इसे करने का आदेश पारित कर सकता है। हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है इसलिए श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ। वादी की माँ अनपढ महिला होने के कारण वादी का नाम दस्तावेजों मे उल्लेखित नाम नही लिखा कर घर पर मुंहबोला नाम नामान्तरकरण खुलवाते समय लिखवा दिया गया जो गलत एवं विवादित है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जब दर्ज हुआ जब वादी नाबालिग था वादी वर्तमान में बालिग हो चुका है। वादी अपनी पैतृक कृषि भूमि की जमाबन्दी में अपना नाम अंकित के स्थान पर दुरूस्त करवाकर अभिनन्दन बैरवा करवाने का अधिकारी है। वादी के पिता एवं दादाजी की मृत्यु के समय प्रतिवादी संख्या 9 व प्रतिवादी संख्या 9 के कर्मचारियों द्वारा वादी की आई.डी. या अन्य कोई दस्तावेज देखकर नामान्तरकरण नही भरा गया। इनकी लापरवाही के कारण वादी का नाम गलत अंकित किया गया है। इस आशय की घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है कि वादी का नाम वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम अंकित के बजाय अभिनन्दन दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माँ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 वादी की बहिनें है अर्थात इन्हें पक्षकार सहकाश्तकार होने के कारण बनाया गया है

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

तथा प्रतिवादी संख्या 9 भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादकारण तब उत्पन्न हुआ जब वादी ने अपने भाई अशोक की विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिए दिनांक 03.06.2022 को अपनी पैतृक कृषि भूमि की जमाबन्दी निकलवाई जब से वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित के बजाय अभिनन्दन पुत्र लालचन्द अंकित करने व इस आशय की दुरूस्ती करने की प्रतिवादी संख्या 9 को आदेशित करने की कृपा करे।

वादी का वाद पत्र दर्ज किया जाकर दिनांक 09.06.2022 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 15.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से श्री कमलेश बैरवा एडवोकेट ने अण्डरटेंकिग दी एवं प्रतिवादी संख्या 9 का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुआ। दिनांक 22.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से वकालतनामा एवं इस आशय का जवाब दावा पेश किया कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है तथा प्रतिवादी संख्या 9 को जवाब हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 25.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 9 की ओर इस आशय का जवाब पेश किया कि उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसका वरवक्त उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजो के आधार पर विरासत नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। वरवक्त जांच प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का नाम अभिनन्दन बैरवा पुत्र लालचन्द बैरवा दर्ज है तथा जमाबन्दी में अभिनन्दन पुत्र लालचन्द तथा नाबालिग अंकित पुत्र लालचन्द दोनों नामों से भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। वरवक्त जांच प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थी का नाम अभिनन्दन बैरवा पुत्र लालचन्द बैरवा दर्ज है। वाद पत्र के मद संख्या 1 दर्ज भूमि में अभिनन्दन तथा अंकित दोनों ही नाम से भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। बिन्दू संख्या 6 अस्वीकार है क्योंकि हाल रिकॉर्ड में अभिनन्दन बैरवा के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही दर्ज किया है। नामान्तरकरण संख्या 1482 निर्णय दिनांक 25.02.2022 से उक्त प्रविष्टियां दर्ज हुई है। अतः जवाब सरकार माननीय न्यायालय की सेवा में प्रेषित है। प्रकरण में कोई विरोधाभासी अभिवचन नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादी अधिवक्ता ने निवदेन किया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नही की गई इसलिए प्रकरण में बहस सुनी जावे। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

वादी के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 133 में खसरा नम्बर 2457 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 2458 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 2462 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 2465 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 2469 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 2471 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 2670 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 2671 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2693 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 2694 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 2695 रकबा 0.58 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 3.76 हैक्टेयर वाके ग्राम कलवाडा, तहसील

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर दक्षिण (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

सांगानेर, जिला जयपुर वादी का नाम अंकित के स्थान अभिनन्दन किया जावे और उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।

हमने बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड प्रस्तुत किये गये जिसमें वादी का नाम अभिनन्दन बैरवा अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 वादी के परिवार के सदस्य है उनके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादी का नाम अंकित एवं अभिनन्दन दोनों है और इन दोनों नाम का उनके परिवार एक ही व्यक्ति है। वादी को बचपन में अंकित के नाम पुकारा जाता है और दस्तोवजो में अभिनन्दन दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता एवं दादाजी के फौत हो जाने पर वादी के पक्ष में जब नामान्तरण तस्दीक किया गया जब वादी नाबालिग है तथा जब वादी के दादी के फौत हो जाने पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जब वादी बालिग है इस तथ्य की पुष्टि राजस्व जमाबन्दी होती है। प्रतिवादी संख्या 9 के जवाब के साथ हल्का पटवारी द्वारा फर्द मौका बनाया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख हे कि वादी का नाम अंकित व अभिनन्दन दोनों ही है, आज वर्तमान स्थिति अनुसार वादी के सभी दस्तावेजो में अभिनन्दन बैरवा पुत्र लालचन्द बैरवा दर्ज है, सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सांगानेर के जवाब के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम कलवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 133 में खसरा नम्बर 2457 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 2458 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 2462 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 2465 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2468 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 2469 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 2471 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 2669 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 2670 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 2671 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 2693 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 2694 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 2695 रकबा 0.58 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 3.76 हैक्टेयर में अंकित पुत्र लालचन्द का हिस्सा 1/18 के स्थान अंकित उर्फ अभिनन्दन पुत्र लालचन्द को हिस्सा 1/18 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर।

Scanned with CamScanner